

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारी:- डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 43/2019

नन्दू देवी पत्नी श्री सूरजमल, जाति-मीणा, निवासी-ग्राम सुन्दर का वास, तहसील-  
आमेर, जिला-जयपुर।

बनाम  
सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर।

अपीलान्त,

रेस्पोंडेंट,

( अपील विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध  
निर्णय तहसीलदार, आमेर, निर्णय दिनांक 16.05.2016  
नामान्तरकरण सं० 601 )

उपरिस्थित:-

1. श्री बंशीधर जाट, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।
2. परोकार सरकार उपरिस्थित।


निर्णय

दिनांक : 25.03.2021

अपीलान्त द्वारा यह अपील ग्राम चक मनोहरपुर पटवार हल्का लखेर, तहसील आमेर, जिला-जयपुर में स्थित भूमि ख०नं० 652 कुल रकबा 9.00 हे०, में दर्ज खातेदार श्याम सुन्दर पुत्र शिवसहाय का 1/5 हिस्सा दर हिस्सा 1/4 सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिव सहाय हि० 1/5 दर हिस्सा 1/4, गीता पुत्री शिव सहाय का 1/5 दर हि० 1/4 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 02.05.2014 द्वारा अपीलान्त को विक्रय की गई भूमि के संबंध में भरे गये नामान्तरकरण सं० 601 दिनांक 16.05.2016 को निरस्त किये जाने के विरुद्ध पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया गया तथा रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी कर तलवी की गई। तहसीलदार, आमेर से नामान्तरकरण सं० 601 ग्राम चक मनोहरपुर की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलान्त की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्त द्वारा कथन किया गया कि ग्राम चक मनोहरपुर पटवार हल्का लखेर, तहसील आमेर, जिला-जयपुर में स्थित भूमि ख०नं० 652 कुल रकबा 9.00 हे०, में दर्ज खातेदार श्याम सुन्दर पुत्र शिवसहाय का 1/5 हिस्सा दर हिस्सा 1/4 सुरेन्द्र कुमार पुत्र शिव सहाय हि० 1/5 दर हिस्सा 1/4, गीता पुत्री शिव सहाय का 1/5 दर हि० 1/4 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 02.05.2014 द्वारा अपीलान्त को विक्रय की गई। जिसका पटवारी हल्का लखेर द्वारा नामान्तरकरण सं० 601 दिनांक 09.11.2015 को भरा गया था। विक्रेतागणों से ख०नं० 652 रकबा 9.00 हे० में नामान्तरकरण सं० 228 दिनांक 20.10.2006 के द्वारा मृतक शिवसहाय पुत्र भूराराम हिस्सा 1/4 का नामान्तरकरण उसके वारिसान विक्रेतागण के नाम तस्दीक किया गया था जिसके आधार पर विक्रय पत्र तस्दीक किया गया है तथा विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण की



कॉलम सं० 7 में विक्रेता का नाम दर्ज किया जा कर कॉलम सं० 9 में क्रेतागण का नाम दर्ज किया गया है। अपीलान्त द्वारा तहसीलदार के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस बाबत भी पेश किया था कि यदि विक्रय के बाद हिस्सा कम-ज्यादा हो गया है तो हाल हिस्सानुसार ही नामान्तरकरण दर्ज किया जावे, परन्तु तहसीलदार, आमेर द्वारा दिनांक 13.09.2019 को पटवारी हल्का लखैर कि रिपोर्ट के पृष्ठ भाग पर यह अंकित किया है कि प्रकरण में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जावे।

अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 16.05.2016 की जानकारी अपीलान्त के अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश की महिला होने के कारण जानकारी नहीं हुई। तहसीलदार के समक्ष दिनांक 27.08.2019 को प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया कि उनका प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2019 को खारिज हो चुका है। जिसकी रिपोर्ट की नकल प्रार्थिया को दिनांक 10.10.2019 को प्राप्त होने पर प्रथम बार जानकारी हुई, प्रार्थिया की सदभावी भूल है। जिसके कारण देरी को माफ किये जाते हुए अपील अपीलान्त स्वीकार की जा कर अपीलाधीन नामान्तरकरण को स्वीकार किये जाने हेतु तहसीलदार, आमेर को निर्देशित किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विक्रय पत्र दिनांक 02.05.2014 के आधार पर क्रेता श्रीमती नंदू देवी पत्नी श्री सूरजमल मीणा, निवासी-ग्राम सुन्दर का बास, तहसील-आमेर द्वारा 1.35 हे० भूमि का बैचान का अंकन है, परन्तु मुताबिक जमाबंदी विक्रेता के हिस्से में 1.20 हे० भूमि ही दर्ज रिकार्ड है। विक्रेता द्वारा अपने हक एवं हिस्से अधिक भूमि का बैचान किया गया है। जिसके कारण तहसीलदार द्वारा विधि अनुरूप नामान्तरकरण खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलान्त पोषणीय नहीं होने कारण खारिज की जावे।


हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्त ने कथन किया है की अपीलान्त अनपढ, ग्रामीण परिवेश की महिला है तथा उसे तथ्यों की जानकारी नहीं थी। अतः प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम मियाद शुमार मानते हुए डिले कण्डोन किया जाता है।

विक्रेता द्वारा ख०नं० 652 रकबा 9.00 हे० में विक्रय पत्र दिनांक 02.05.2014 के आधार पर नंदू देवी पत्नी श्री सूरजमल मीणा को 1.35 हे० भूमि का विक्रय किया गया है। जबकि जमाबंदी में विक्रेता के हिस्से 1.20 हे० भूमि ही दर्ज है। तहसीलदार, आमेर द्वारा जमाबंदी में दर्ज भूमि से अधिक का विक्रय करने के कारण नामान्तरकरण विधि अनुसार खारिज किया गया है। अपीलान्त अधिवक्ता ने अपने बहस में यह कथन किया है कि पंजीकृत विक्रय पत्र में विक्रेता के हिस्से से अधिक भूमि का अंकन अंकित है, परन्तु यदि विक्रेता के हिस्से में 1.20 हे० भूमि दर्ज रिकार्ड है तो दर्ज रिकार्ड अनुसार ही भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि अपीलान्त द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि में यदि विक्रेता के हिस्से का रकबा 1.20 हे० है, तो उतनी भूमि का ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जावे।

अतः उक्त विवचेनानुसार अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जा कर तहसीलदार, आमेर को प्रकरण प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्त को पुनः सुनकर विधि अनुरूप नामान्तरकरण पुनः तस्दीक करावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 25.03.2021 को सुनाया गया।



  
(डॉ. अशोक कुमार)  
वातांरक्त कलक्टर (चतुर्थ)  
जयपुर